भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA



पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र सर्वे कॉम्पलैक्स, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए, चण्डीगढ़- 160030 Punjab, Haryana & Chandigarh. GDC,

Survey Complex, Dakshin Marg, Sector – 32 A, Chandigarh - 160030

सं0 No. प्रशा0 Adm.- 7517 /37-जी-9

फैक्स Fax : 0172-2604671

Email : phc.gdc.soi@gov.in

दूरभाष Telephone : 2600031, 2602607

दिनांक- 16 नवम्बर, 2022

<u>पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र का नेमी आदेश सं0 09 /37-जी-9 दिनांक 16 -11-2022</u>

<u>तदर्थ आधार पर पदोन्नतिः</u>-

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से निम्न अधिकारी सर्वेक्षकों की अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर Pay Matrix Level-11 में (पूर्व संशोधित वेतनमान PB03 ₹ 15600-39100+GP Rs 6600) केवल एक वर्ष के लिए या सेवानिवृत्ति तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर निम्नानुसार शर्तों के साथ दर्शाई गई तिथि से पदोन्नति की गई।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तदर्थ आधार पर पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने की तिथि	टिप्पणी	
1.	श्री संजय उनियाल	22-09-2022 (पूर्वाहन)	प्राधिकार- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 20/21-9-2022 का पत्रांक सी-6156/853-SS	
2.	श्री हरीश मित्तर '	10-10-2022 (पूर्वाहन)		
3.	श्री चन्द्र कान्त	19-10-2022 (पूर्वाहन)	प्राधिकार- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 20/21-9-2022 का पन्नांक सी- 6156/853-SS एवं दिनांक 18-10-2022 का पत्रांक सी-6284/853-SS	

- 1. तदर्थ पदोन्नति अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर लगातार बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करती।
- 2. अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर सेवा उस ग्रेड की वरिष्ठता और पदोन्नति की योग्यता के लिए Count नहीं होगी एवं अधिकारी सर्वेक्षक जो भी पदोन्नत होगें वे लगातार अधिकारी सर्वेक्षक की वरिष्ठता सूची में ही शामिल किए जाएँगे।
- 3. तदर्थ पदोन्नति विना कोई कारण दिए कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- 4. तदर्थ पदोल्नति पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में श्री टी. एम. पून्जा और अन्य द्वारा दायर की गई CWP No. 20237/2009 और यूनियन ऑफ इण्डिया और अन्य द्वारा दायर की गई WP No. 7683/2010 के निष्कर्ष के आधार पर होगी।
- 5. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
- अधिकारियों का वेतन का निर्धारण प्रचलन नियमानुसार किया जाएगा।
- 7. उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है।
- अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र को वित्तीय वर्ष 2022-23 में आबंटित संस्वीकृत बजट अनुदान राशि से किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जाएगा ।

<u>स्थानन्तरणः</u>-

इस केन्द्र में एवं बाहरी कार्यालयों से निम्न अधिकारियों का दिए गए विवरणानुसार स्थानन्तरण किया गया।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय जंहा से स्थानन्तरण हुआ	कार्यालय जिसमें स्थानन्तरण किया गया	स्थानन्तरण की तिथि	कार्यालय में उपस्थित होने की तिथि
1.	श्री संजय उनियाल, अधीक्षक सर्वेक्षक (तदर्थ)	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र देहराद्न	30-09-2022 (अपराहन)	03-10-2022 (पूर्वाहन)
2.	श्री हरीश मित्तर, अधिकारी सर्वेक्षक	उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़	पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	10-10-2022 (पूर्वाहन)	10-10-2022 (पूर्वाहन)

पेज----3

----3-----

3.	श्री चल्द्र काल्त,	हिमाचल प्रदेश	पंजाब, हरियाणा एवं	19-10-2022	19-10-2022
	अधिकारी सर्वेक्षक	जी.डी.सी.	चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	(पूर्वाहन)	(पूर्वाहन)
4.	सुनील कुमार सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक	पंजाब हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.	G&RB देहरादून	28-09-2022 (अपराहन)	29-09-2022 (पूर्वाहन)

(प्राधिकार:- (i) आरत के महासर्वेक्षक कार्यालय के दिनांक 20/21 सितम्बर 2022 का पत्रांक C -6156/853-SS)

- (ii) भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय के दिनांक 26-09-2022 का पत्रांक स्था.1-5529/1466-अधिकारी
- (iii) आरत के अहासर्वेक्षक कार्यालय के दिनांक 18-10-2022 का पत्रांक C-6284/853-SS)

3. एम. ए. सी. पी. के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन :-

भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0 दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0जी0-35034/3/2008-स्था0(डी) दिनांक 19-05-2009 एवं सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं0 जी0-35034/3/2015-स्था0(डी) दिनांक 22-10-2019 में निहित्त अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) कर्मचारियों (डिविजन-।(डिविजन-॥ से पदोन्नत) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम	नाम	पद	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
सं.			
1.	श्री दीनदयाल शर्मा	सर्वेक्षण सहायक	01-01-2023
2.	श्री ओहिन्दर पाल	सर्वेक्षण सहायक	01-01-2023

1. उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

2. उक्त कर्मचारियों को नए वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के लिए अनुपूरक नियम 22(1)(a)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

----4-----

- 3. उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है।
- 4. अतिरिक्त समिहित व्यय इस कार्यालय को वित्तिय वर्ष 2022-23 में आबंटित अनुदान राशि से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नाम डाला जाएगा।

(प्राधिकार)- आरत के महासर्वेक्षक कार्यालय, देहरादून का दिनांक 10-10-2022 का पत्रांक सी-6370/1902-एम.ए.सी.पी (PHC GDC)

4. <u>त्याग पत्रः-</u>

इस केन्द्र की कु. ज्योति परुथी, अवर श्रेणी लिपिक द्वारा प्रस्तुत त्यांगपत्र दिनांक 23-09-2022 (अपराहन) से सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्राधिकार - इस कार्यालय का दिनांक <u>12-09-22</u> का पत्रांक प्रशा. <u>5361/4-A(त्याग पत्र)</u>

(कुणाल श्रीधर बोरकर)कर्नल निदेशक पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी.

वितरणः-

- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 4. प्रभारी विभागीय वैबसाइट को कृपया यह आदेश "Routine Orders & Circular" tab में प्रकाशित करें ।
- प्रभारी आवान अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।